उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या -2/2017/आडिट-2-639/दस-2017-370(2)/2016 टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक **30 मई, 2017**

कार्यालय-आदेश

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या-रा0अधि0/शा0-542 दिनांक 22-03-2017 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि श्री दिनेश सिंह, उपनिदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ दिनांक 31 मार्च, 2017 को अधिवर्षता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है । अत: उक्त मण्डल में किसी अधिकारी की तैनाती/प्रभार दिये जाने संबंधी आदेश शासन स्तर से जारी की जाय, ताकि उक्त मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि के आहरण-वितरण का कार्य सम्पन्न किया जा सके।

2- उपरोक्त के द्रष्टिगत उप निदेशक मेरठ मण्डल के रिक्त पद पर नियमित अधिकारी के नियुक्त होने विषयक अग्रिम आदेश निर्गत होने तक श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक, सहारनपुर मण्डल को उनके पदभार के साथ-साथ उप निदेशक मेरठ मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौपे जाने का श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

3- श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक, सहारनपुर मण्डल को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-आडिट-2-639(1)/दस-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ मण्डल।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवॉ तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद ।
5- संबंधित अधिकारी।
6- वैभागीक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।